

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

कमांक- नर्सिंग/नर्स-2/ 32161-6974254 / जो.जयपुर / 2025 /

दिनांक-

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
दू.।

विषय- अनिता म.स्वा.कार्यकर्ता के अवकाश स्वीकृति के संबंध में ।  
संदर्भ- आपका पत्र कमांक 1183 दिनांक 04.11.2024 के क्रम में ।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि अनिता म.स्वा.कार्यकर्ता वर्तमान में आपके अधीन उप स्वा केन्द्र अखैपुरा में कार्यरत है, का आप द्वारा अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, में राजस्थान सेवा नियम के नियम 88 के अनुसार किसी भी प्रकार के अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ अथवा उसकी निरंतरता में स्वीकृत किया जा सकता है एवं राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत शक्तियों के प्रदत्तिकरण के क्रम संख्या 15 आईटम संख्या 22 के बिन्दु संख्या (ग) के अनुसार अध्ययन एवं असमर्थता अवकाश के अतिरिक्त सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करने की अधीनस्थ सेवाओं एवं लिपिक वर्गीय सेवाओं हेतु चार माह तक के अवकाश की शक्ति कार्यालाध्यक्ष को है । अतः प्रकरण में आप अपने स्तर पर कार्मिका का अवकाश स्वीकृत किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करावे ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

कमांक- नर्सिंग/नर्स-2/ 32161-6974254 / जो.जयपुर / 2025 / 14070408 दिनांक-11/3/25  
प्रतिलिपि- निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दू.।
3. संबंधित कार्मिको को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ई-मेल करे ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :10-03-2025 07:13:43